


11.03.2025 अप्रार्थी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई।
हस्तगत प्रकरण से सम्बंधित मूल प्रकरण अनवान स्टेट बनाम कविता दिवान
मुकदमा संख्या 195/2024 अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. को शर्ताधीन खारिज
किया जा चुका है। मूल प्रकरण के खारिज होने से इस प्रकरण का कोई
औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता
है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल
वाद संख्या प्रकरण अनवान स्टेट बनाम कविता दिवान मुकदमा संख्या
195/2024 अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. रहे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगामगर